



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 27]

नई दिल्ली, जुलाई 9—जुलाई 15, 2017, शनिवार/आषाढ 18—आषाढ 24, 1939

No. 27]

NEW DELHI, JULY 9—JULY 15, 2017, SATURDAY/ ASADHA 18—ASADHA 24, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार क आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 237.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनयमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता.—वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपने पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सेनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1 निदेशक (राजस्व प्रयोगशाला)	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक में स्तर 14 (144200-218200 रु.)

क्या चयन पद है या गैर चयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रोन्नति:- ऐसा संयुक्त निदेशक जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रु.) में ऐसी उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसमें गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी में, यदि कोई हो, सेवा की हो तथा रासायनिक विश्लेषणों के आधुनिक तरीकों जिसके अन्तर्गत विश्लेषण के स्पेक्ट्रोस्कोपिक तथा क्रोमेटोग्राफिक तरीकों, (राष्ट्रीय सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्वापक औषधि अकादमी के परामर्श से केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण का मॉड्यूल विकसित किया जाएगा) में 2-4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 अथवा वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है, से पहले अधिकारी द्वारा की गई नियमित सेवा के आधार पर यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू समवर्ती ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या लोक उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या</p>

		<p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 क (131100-216600 रु.) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में 2 वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (118500-214100 रु.) में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iv) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रु.) में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में 8 वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित- शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं- आवश्यक :—</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या संबद्ध विषयों में पीएचडी डिग्री।</p> <p>(ii) सरकारी या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से विभिन्न वस्तुओं का रासायनिक विश्लेषण या विश्लेषणात्मक या कार्बनिक या अकार्बनिक रसायन विज्ञान में अनुसंधान का 12 वर्ष का अनुभव। [विश्लेषणात्मक या अकार्बनिक या कार्बनिक रसायन में अनुसंधान का ऐसा अनुभव जो व्यक्ति ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य में विश्लेषणात्मक या अकार्बनिक या कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में डॉक्टरेट उपाधि (पी. एच. डी.) के लिए रजिस्ट्रीकृत कराए जाने के पश्चात् उसके लिए नियमित अध्ययन के दौरान (न कि नौकरी के साथ) प्राप्त किया है और जिसके आधार पर उसे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है।]</p> <p>वांछनीय :</p> <p>सरकारी या स्वायत्त निकाय कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से विश्लेषण की स्पेक्ट्रोस्कोपिक और क्रोमोटोग्राफिक पद्धतियों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण या अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>
--	--	--

	<p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 अथवा वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है, से पहले अधिकारी द्वारा की गई नियमित सेवा के आधार पर यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू समवर्ती ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई है। उस स्थिति को छोड़कर, जिसमें कि पूर्व संशोधित वेतनमान के एक से अधिक वेतनमानों को समान ग्रेड-पे या वेतनमान को एक ग्रेड में आमेलित कर दिया गया है और जहां कि ये लाभ केवल उन पदों के लिए दिया गया है, जहां कि ग्रेड-पे या वेतनमान को बिना किसी उन्नयन के सामान्य ग्रेड के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया है।</p>
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष
2. सचिव (राजस्व)	- सदस्य
3. अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड	-सदस्य
4. सदस्य, (प्रशासन), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड	- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
2 संयुक्त निदेशक	8* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (118500-214100 रु.) में दो पदों के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रु.) में 6 पद। टिप्पण : संयुक्त निदेशक के दो पद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (118500-214100 रु.) अकृत्यिक चयन श्रेणी के रूप में परिचालित होंगे तथा इन पदों पर संयुक्त निदेशक पदों के ऐसे नियमित पद-धारियों में से अकृत्यिक चयन श्रेणी से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, नियुक्ति की जाएगी।

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रोन्नति :-</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में (67700-208700 रु.) ऐसा रसायन परीक्षक श्रेणी - 1 जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा रसायन परीक्षक श्रेणी- 1 जिसने रसायन परीक्षक श्रेणी - 1 और वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में (56100-177500 रु.) जिसमें से रसायन परीक्षक श्रेणी - 1 की श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, रसायन परीक्षक श्रेणी - 2 की श्रेणियों में दस वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: संयुक्त निदेशक के पद पर प्रोन्नति इस निबंधन के अधीन होगी कि विभागीय रसायन परीक्षक श्रेणी, जिसके अन्तर्गत रसायनिक विश्लेषण के स्पेक्ट्रोस्कोपिक तथा क्रोमेटोग्राफिक पद्धतियां भी हैं। पद्धतियों के साथ विश्लेषणों के आधुनिक तरीकों (राष्ट्रीय सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्वापक औषधि अकादमी के परामर्श से केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला या अन्य किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण का मॉड्यूल विकसित किया जाएगा) में 2-4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलता पूर्वक किया हो।</p> <p>टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 3: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 अथवा वह तारीख जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है, से पहले अधिकारी द्वारा की गई नियमित सेवा के आधार पर यह माना जाएगा की ऐसी सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू समवर्ती ग्रेड वेतन या वेतमान में की गई है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रु.) या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो; और</p>

	<p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं-</p> <p>आवश्यक :—</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या संबद्ध विषयों में मास्टर डिग्री।</p> <p>(ii) सरकारी या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से विभिन्न वस्तुओं के रासायनिक विश्लेषण या विश्लेषणात्मक या कार्बनिक या अकार्बनिक रसायन विज्ञान में अनुसंधान का 8 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>सरकार या स्वायत्त निकाय कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से विश्लेषण की स्पेक्ट्रोस्कोपिक और क्रोमोटोग्राफिक पद्धतियों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या अनुभव रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>
--	---

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:—</p> <p>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष</p> <p>2. अध्यक्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड — सदस्य</p> <p>3. सदस्य, (प्रशासन), केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड — सदस्य</p> <p>4. निदेशक (राजस्व प्रयोगशाला) केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला - सदस्य</p>	<p>किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (अकृत्मिक चयन श्रेणी में नियुक्ति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड – अध्यक्ष 2. सदस्य, (प्रशासन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड – सदस्य 3. निदेशक (स्थापना) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग – सदस्य 4. निदेशक (राजस्व प्रयोगशाला) केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला – सदस्य 	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)
3 रसायन परीक्षक श्रेणी-I	22* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700 रु.)

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा 80 प्रतिशत; प्रतिनियुक्ति द्वारा 20 प्रतिशत (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा की जाएगी।	<p>प्रोन्नति: ऐसा रसायन परीक्षक ग्रेड II जिसने वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 में (56100-177500) में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा आधुनिक तरीकों सहित रसायनिक विश्लेषणों की आधुनिक पद्धतियों जिसके अंतर्गत स्पेट्रोस्कोपिक और क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण की पद्धतियां भी हैं (राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्वापक औषधि अकादमी के परामर्श से केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण का मॉड्यूल विकसित किया जाएगा) में 2-4 सप्ताह का आवश्यक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक किया हो।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य</p>

	<p>सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन, ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु.) या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं-</p> <p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री।</p> <p>(ii) सरकारी या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से विभिन्न वस्तुओं के रासायनिक विश्लेषण या विश्लेषणात्मक या कार्बनिक या अकार्बनिक रसायन विज्ञान में अनुसंधान का 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से विश्लेषण की स्पेक्ट्रोस्कोपिक और क्रोमोटोग्राफिक पद्धतियों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या अनुभव रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर वाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>
--	--

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—</p> <p>1. अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड - अध्यक्ष</p> <p>2. सदस्य, (प्रशासन), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड - सदस्य</p> <p>3. निदेशक (राजस्व प्रयोगशाला), केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला - सदस्य</p>	<p>किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
4 रसायन परीक्षक श्रेणी-II	45* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रु.)

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	<p>35 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री।</p> <p>(ii) सरकारी या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से विभिन्न वस्तुओं के रासायनिक विश्लेषण या विश्लेषणात्मक या कार्बनिक या अकार्बनिक रसायन विज्ञान में अनुसंधान का 2 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से विश्लेषण की स्पेक्ट्रोस्कोपिक और क्रोमोटोग्राफिक पद्धतियों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या अनुभव रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंध अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों</p>	लागू नहीं होता

	को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	---

(9)	(10)	(11)
एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा 67 प्रतिशत; तथा सीधी भर्ती द्वारा 33 प्रतिशत	<p>प्रोन्नति: ऐसा सहायक रसायन परीक्षक जिसने वेतन मैट्रिक्स स्तर 7 में (44900-142400 रु.) में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है, अकृत्यिक चयन श्रेणी और रसायनिक विश्लेषणों की आधुनिक पद्धतियों जिसके अंतर्गत स्पेट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण की पद्धतियां भी हैं में 2-4 सप्ताह का आवश्यक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक किया हो।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति या आमेसन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतमान पर की गई सेवा समझ जाएगी।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. अध्यक्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड – सदस्य 3. सदस्य, (प्रशासन), केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड –सदस्य 4. निदेशक (राजस्व प्रयोगशाला) केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला - सदस्य <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड – अध्यक्ष 2. सदस्य, (प्रशासन), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड – सदस्य 3. निदेशक (राजस्व प्रयोगशाला) केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला – सदस्य 	<p>किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
5 सहायक रसायन परीक्षक	91* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रु.)

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	<p>प्रोन्नति: ऐसा रसायन सहायक जिसने वेतन मैट्रिक्स स्तर 6 में (35400-112400 रु.) श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा की है और जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में बैचलर डिग्री और रसायनिक विश्लेषणों की आधुनिक पद्धतियां जिसके अन्तर्गत विश्लेषण के स्पेक्ट्रोस्कोपिक और क्रमेटोग्राफिक पद्धतियां भी हैं (राष्ट्रीय सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्वापक औषधि अकादमी के परामर्श से केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण का मॉड्यूल विकसित किया जाएगा) में 2-4 सप्ताह का आवश्यक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक किया हो।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति या आमेसन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक (राजस्व प्रयोगशाला), केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला - अध्यक्ष संयुक्त निदेशक (स्थापना विषयों की बावत व्यवहार करने वाला) केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला - सदस्य संयुक्त आयकर आयुक्त (स्थापना विषयों की बावत व्यवहार करने वाला), दिल्ली - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. ए-12018/7/2012-एडी II बी]

नगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

New Delhi, the 12th July, 2017

G.S.R. 237.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Revenues Control Laboratory (Group ‘A’ and Group ‘B’ posts) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group ‘A’ and Group ‘B’ posts in the Central Revenues Control Laboratory under the Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Revenues Control Laboratory (Group ‘A’ and Group ‘B’ Posts) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** —These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** —The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** —Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Director (Revenue Laboratories).	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level 14 in pay matrix (Rs. 144200-218200).

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion: Joint Director in level 12 in pay matrix (Rs. 78800-209200) with eight years' regular service in the grade including service, if any, in non-functional selection grade and have successfully completed mandatory training of 2-4 weeks in modern methods of chemical analysis including spectroscopic and chromatographic methods of analysis, (module of training shall be developed by Central Revenues Control Laboratory in consultation with National Academy of Customs, Excise and Narcotics or any other recognised training institute).</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> <p>Deputation : (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Recognised Research Institution or Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous Organisations, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 13A in pay matrix (Rs. 131100-216600) or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 13 in pay matrix (Rs. 118500-214100) or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 12 in pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Ph.D degree in Chemistry or allied subjects from a recognised University;</p>

		<p>(ii) twelve years' experience in Chemical Analysis of different commodities or Research in Analytical or Inorganic or Organic Chemistry from Government or Autonomous Bodies or Statutory Bodies or University or recognised Research Institute, [‘Research in Analytical or Inorganic or Organic Chemistry’ is for that experience which individual gains during his regular studies for doctoral degree (Ph.D) (not along with the job after getting registered with a recognised university or equivalent for that degree in the field of Analytical or Inorganic or Organic Chemistry and has also been awarded a doctoral degree (Ph.D) on the basis of that experience].</p> <p>Desirable: One year training or experience in modern methods of Chemical Analysis including spectroscopic and chromatographic methods of analysis from Government or Autonomous Bodies or Statutory Bodies or University or recognised Research Institute.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
--	--	--

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:-</p> <p>1. Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman</p> <p>2. Secretary (Revenue) - Member</p> <p>3. Chairman, Central Board of Excise and Customs - Member</p> <p>4. Member (Administration), Central Board of Excise and Customs - Member</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Joint Director	8* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Six posts in level 12 in pay matrix (Rs. 78800-209200) with two posts in level 13 in pay matrix (Rs. 118500-214100). Note: Two posts of Joint Director will be operated as non-functional selection grade in level 13 in pay matrix (Rs. 118500-214100) and appointment to these two posts will be made by 'Non-Selection' method from amongst regular incumbents of the posts of Joint Director who have completed five years of regular service in the grade.

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion: Chemical Examiner Grade-I in level 11 in pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years' regular service in the grade, failing which, Chemical Examiner Grade-I with ten years' combined regular service in the grades of Chemical Examiner Grade-I and Chemical Examiner Grade-II in level 10 in pay matrix (Rs. 56100-177500) out of which at least three years of regular service shall be in the grade of Chemical Examiner Grade-I.</p> <p>Note 1: Promotion to the post of Joint Director shall be subject to the condition that the Departmental Chemical Examiner Grade-I has successfully completed mandatory training of 2-4 weeks in modern methods of chemical analysis including spectroscopic and chromatographic methods of analysis, (module of training shall be developed by Central Revenues Control Laboratory in consultation with National Academy of Customs, Excise and Narcotics or any other recognised training institute).</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> <p>Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous or Statutory Organisations, -</p>

		<p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 11 in pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>Essential :</p> <p>(i) Master's Degree in Chemistry from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) Eight years' experience in Chemical Analysis of different commodities or Research in Analytical or Inorganic or Organic Chemistry from Government or Autonomous Bodies or Statutory Bodies or University or recognised Research Institute.</p> <p>Desirable:</p> <p>Have undergone one year training or have one year experience in modern methods of Chemical Analysis including spectroscopic and chromatographic methods of analysis from Government or Autonomous Bodies or Statutory Bodies or University or recognised Research Institute.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:-</p> <p>1. Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman</p> <p>2. Chairman, Central Board of Excise and Customs - Member</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).</p>

3. Member (Administration), Central Board of Excise and Customs	- Member	
4. Director (Revenue Laboratories), Central Revenues Control Laboratory	- Member	
Departmental Promotion Committee (for considering placement in Non-Functional Selection Grade) consisting of:-		
1. Chairman, Central Board of Excise and Customs	- Chairman	
2. Member (Administration), Central Board of Excise and Customs	- Member	
3. Director (Establishment), Department of Personnel and Training	- Member	
4. Director (Revenue Laboratories), Central Revenues Control Laboratory	- Member	

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Chemical Examiner Grade-I.	22* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in pay matrix (Rs. 67700-208700).

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	Eighty per cent by promotion; twenty per cent by deputation (including short-term contract), failing which by promotion.	<p>Promotion: Chemical Examiner Grade-II in level 10 in pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years' regular service in the grade and have successfully completed the mandatory training of 2-4 weeks in modern methods of chemical analysis including spectroscopic and chromatographic methods of analysis, (module of training shall be developed by Central Revenues Control Laboratory in consultation with National Academy of Customs, Excise and Narcotics or any other recognised training institute.)</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> <p>Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Recognised Research Institution or Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous or Statutory Organisations, -</p>

		<p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 10 in pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>Essential :</p> <p>(i) Master's Degree in Chemistry from a recognised University.</p> <p>(ii) Three years' experience in Chemical Analysis of different commodities or Research in Analytical or Organic or Inorganic Chemistry from Government or Autonomous Bodies or Statutory Bodies or University or recognised Research Institute.</p> <p>Desirable:</p> <p>Have undergone one year training or have one year experience in modern methods of chemical analysis including spectroscopic and chromatographic Methods of analysis from Government or Autonomous Bodies or Statutory Bodies or University or recognised Research Institute.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:-</p> <p>1. Chairman, Central Board of Excise and Customs - Chairman</p> <p>2. Member (Administration), Central Board of Excise and Customs - Member</p> <p>3. Director (Revenue Laboratories), Central Revenues Control Laboratory - Member</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Chemical Examiner Grade-II	45* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 in pay matrix (Rs. 56100-177500)

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	<p>Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the State of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba-District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) Master's degree in Chemistry from a recognised University ;</p> <p>(ii) Two years' experience in Chemical analysis of different commodities or Research in Analytical or Organic or Inorganic Chemistry from Government or Autonomous Bodies or Statutory Bodies or University or recognised Research Institute.</p> <p>Desirable:</p> <p>One year training or experience in modern methods of chemical analysis including spectroscopic and chromatographic methods of analysis from Government or Autonomous Bodies or Statutory Bodies or University or recognised Research Institute.</p> <p>Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note2: The qualification(s) regarding experience is /are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable

(9)	(10)	(11)
One year	Sixty-seven per cent. by promotion; and thirty-three per cent. by direct recruitment.	<p>Promotion:</p> <p>Assistant Chemical Examiner in level 7 in pay matrix (Rs. 44900-142400) with three years' regular service in the grade and have successfully completed the mandatory training of 2-4 weeks in modern methods of chemical analysis including spectroscopic and chromatographic methods of analysis, (module of training shall be developed by Central Revenues Control Laboratory in consultation with National Academy of Customs, Excise and Narcotics or any other recognised training institute).</p> <p>Note1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and</p>

		<p>have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman Chairman, Central Board of Excise and Customs - Member Member (Administration), Central Board of Excise and Customs - Member Director (Revenue Laboratories), Central Revenues Control Laboratory - Member <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman, Central Board of Excise and Customs - Chairman Member (Administration), Central Board of Excise and Customs - Member Director (Revenue Laboratories), Central Revenues Control Laboratory - Member 	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Assistant Chemical Examiner	91* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in pay matrix (Rs. 44900-142400).

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	<p>Promotion: Chemical Assistant in level 6 in pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade and possessing the following educational qualification:-</p> <p>Bachelor's degree in Chemistry from a recognised University or Institute and have successfully completed the mandatory training of 2-4 weeks in modern methods of chemical analysis including spectroscopic and chromatographic methods of analysis, (module of training shall be developed by Central Revenues Control Laboratory in consultation with National Academy of Customs, Excise and Narcotics or any other recognised training institute).</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be</p>

		<p>considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:-</p> <p>1. Director (Revenue Laboratories), Central Revenues Control Laboratory - Chairman</p> <p>2. Joint Director (dealing with Establishment matters), Central Revenues Control Laboratory - Member</p> <p>3. Joint Commissioner of Income Tax (dealing with Establishment matters), Delhi - Member</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. A-12018/7/2012-Ad.IIB]

NAGENDRA KUMAR, Under Secy.

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 238.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रधान मंत्री कार्यालय, पुस्तकालयाध्यक्ष (समूह 'ख') भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रधान मंत्री कार्यालय में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रधान मंत्री कार्यालय, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (समूह ख) भर्ती नियम, 2017 है।
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति --